

संख्या- 97 /2026/आर0एफ0-634/नौ-9-2026/05-ई-1869482

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद बीसलपुर,
जनपद-पीलीभीत।

नगर विकास अनुभाग-9

संखनऊ : दिनांक 19 मई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से व्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-197/2025-आर0एफ0-1881/नौ-9-2025/003-ई-19/3337 दिनांक-14.10.2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत व्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित मा०सी० सड़क, नाली एवं स्ट्रीट लाइट निर्माण कार्यों हेतु नगर पालिका परिषद बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत को कुल लागत ₹ 205.02 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ऋण के रूप में आवंटित धनराशि ₹ 200.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹ 100.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, जनपद-पीलीभीत द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगर पालिका परिषद बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत को द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि ₹ 99.66 लाख (रुपये निन्यानवे लाख छियासठ हजार मात्र) निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा० राज्यपाल महोदयों सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र० सं०	निकाय, जनपद एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण	प्राप्तकृत धनराशि/ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	ऋण के रूप में आवंटित धनराशि	निविदा (टेण्डर) की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय/ अंतिम किश्त की निर्गत की जा रही धनराशि (निविदा की धनराशि-प्रथम किश्त की धनराशि) (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पालिका परिषद बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत में सी०सी० रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट, निर्माण	205.02	200.00	199.66	100.00	99.66

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, के लेखाशीर्षक "6215-जनन धर्म तथा सफाई के लिये कर्ज-02 मल जल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-05 पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

- (2) संबंधित निकाय द्वारा वास्तु कार्य हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का विल जनपद के जिलाधिकारी सहाय अधिकारी से प्रतिवृत्ताकारित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय को प्राप्त हो सकने विल के सापेक्ष धनराशि हस्तांतरित की जाती सुनिश्चित करेगी।
 - (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2027 तक करने हुये उपरोक्ता पत्र सं. प्र. 1/2026/आय-व्यय-अनुभाग-9, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया सुनिश्चित करेगी।
 - (4) निकाय परामर्श परियोजनाएं पूर्ण कर उक्त पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक वर्ष का प्रमाण-पत्र बनाया जाता सुनिश्चित करेगी।
 - (5) उपरोक्त शासनपत्र संख्या-197/2025-आर0एफ0-1881/नौ-9-2025/003-ई-197/2026, दिनांक-14.05.2025 में उल्लिखित बातें शर्तें यथावत रहेंगी।
 - (6) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रशासन को उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराते गये कार्य की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो नये अवधि में जिलाधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी को उपरोक्त किया जायेगा।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रु0 99.66 लाख (रुपये नब्ब्यान्वये लाख छियासठ हजार मात्र) को वास्तु विनियम वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखाशीर्षक 6215021920500 य0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 लियेश/ऋण के नामे उला जायेगा।
4. यह आदेश विल (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2025/नौ-1-812/आय 2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में पश्चात्कीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधित्वित अधिकारी से अनुरोध निगत किये जा रहे है।

Digitally signed by
RAJESHWARI PRASAD
Date: 19-05-2026
10:38:58

भवदीय,
(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 97 /2026/आर0एफ0-634/नौ-9-2026/015-ई-1869482 तद् दिनांक।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जनपद-पीलीभीत।
6. कोषाधिकारी, जनपद-पीलीभीत।
7. जिला सचिव, माओ मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. विल (व्यय-वित्तियक) अनुभाग-9 एवं विल (आय-व्ययक) अनुभाग-01, 5050 शासन।
9. स्टेट पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, 5050 शासन।
10. माई, फाइल/गैव मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-19/05/2026

प्रेषण संख्या:- 97
आवंटन आदेश संख्या:- 002-97-2026-1654-9-5-2026-002-CN-1992934
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	पीलीभीत-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9966000 14966000	9966000 14966000
	योग	वर्तमान प्रगामी	9966000 14966000	9966000 14966000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया निन्यानवे लाख छियासठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ उनचास लाख छियासठ हजार


(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव